



### सिटी ऑफ ब्रैम्पटन ने 2021 के लिए, प्रॉपर्टी टैक्स पेमेंट डेफरल प्रोग्राम को मंजूरी दी

ब्रैम्पटन, ओनटैरियो (29 मार्च, 2021) – 24 मार्च की अपनी मीटिंग में, ब्रैम्पटन सिटी काउंसिल (Brampton City Council) ने, कोविड-19 (COVID-19) महामारी के कारण आर्थिक तंगी भुगत रहे निवासियों और कारोबारियों की सहायता के लिए, 2021 के लिए वैकल्पिक प्रॉपर्टी टैक्स पेमेंट डेफरल प्रोग्राम (Property Tax Payment Deferral Program) को मंजूरी दी।

भागीदार, 15 दिसम्बर, 2021 तक, 2021 के प्रॉपर्टी टैक्सों का भुगतान स्थगित करने के लिए आवेदन कर सकते हैं। इस प्रोग्राम में केवल आवेदन पत्र के द्वारा ही हिस्सा लिया जा सकता है। इसका उद्देश्य, रिहायश और कारोबार संबंधी उन प्रॉपर्टी मालिकों की मदद करना है, जिन्हें केवल 2021 के टैक्स वर्ष के लिए भुगतान करने हेतु अधिक समय की जरूरत हो सकती है। प्रॉपर्टी टैक्स पेमेंट डेफरल प्रोग्राम का अर्थ यह नहीं है कि, 2021 के लिए प्रॉपर्टी टैक्सों से छूट मिल रही है।

सिटी हर वर्ष दो टैक्स बिल जारी करती है, इंटरिम टैक्स बिल (Interim Tax Bill) जनवरी में और फाइनल टैक्स बिल (Final Tax Bill) जून में जारी किया जाता है। इंटरिम या फाइनल 2021 प्रॉपर्टी टैक्स बिल को स्थगित करने के लिए, 15 अप्रैल, 2021 तक ऑनलाइन आवेदन करें। जो भागीदार, अपने इंटरिम टैक्स बिल को स्थगित करने का चयन करते हैं, उनका फाइनल टैक्स बिल, अपने आप स्थगित हो जाएगा।

प्रॉपर्टी टैक्स पेमेंट डेफरल प्रोग्राम के लिए योग्य होने हेतु, आवश्यक है कि आपके प्रॉपर्टी टैक्स खाते में, मार्च 2020 से पहले के टैक्स बकाया न हों। निवासियों और कारोबारियों के लिए यह भी आवश्यक है कि वे, प्रॉपर्टी टैक्सों का भुगतान सीधे सिटी ऑफ ब्रैम्पटन को करें, किसी मॉरगेज कंपनी के द्वारा नहीं। आवेदन पत्र, प्रॉपर्टी के मालिक द्वारा दिया जाना आवश्यक है। वित्तीय संस्थान, प्रॉपर्टी के मालिक की ओर से, टैक्स स्थगित करने के लिए आवेदन नहीं कर सकते।

जो निवासी और कारोबारी, प्रॉपर्टी टैक्स पेमेंट डेफरल प्रोग्राम के लिए योग्य हैं और इस समय सिटी ऑफ ब्रैम्पटन के प्री-अथॉराइज्ड टैक्स पेमेंट (पी.टी.पी.) प्लान (Pre-Authorized Tax Payment (PTP) Plan) में नामांकित हैं, उन्हें पी.टी.पी. प्लान (PTP Plan) से हटा दिया जाएगा। उन्हें 2022 की इंटरिम टैक्स बिल की अंतिम तारीख से पहले, पी.टी.पी. प्लान में पुनः मूल्यांकन करने के लिए नया आवेदन पत्र जमा करना होगा। सभी टैक्सों का भुगतान, पी.टी.पी. प्लान के लिए पुनः मूल्यांकन से पहले करना आवश्यक है।

जो निवासी और कारोबारी, प्रॉपर्टी टैक्स पेमेंट डेफरल प्रोग्राम में हिस्सा लेने का चयन करते हैं, वे वर्ष के अंदर, किसी भी समय और कितनी भी बार, प्रॉपर्टी टैक्सों का भुगतान कर सकते हैं। यदि 15 दिसम्बर, 2021 में, 2021 के टैक्सों का पूरा भुगतान कर दिया जाएगा तो कोई जुर्माना या ब्याज नहीं लगेगा।

कृपया यह सुनिश्चित करने के लिए कि सिटी ऑफ ब्रैम्पटन को आपका टैक्स भुगतान समय पर मिल जाए, अपने बैंक या वित्तीय संस्थान में प्रोसेसिंग समय के लिए, अंतिम तारीख से तीन या पांच दिन पहले भुगतान करें। 15 दिसम्बर, 2021 के बाद प्राप्त होने वाले



भुगतानों के लिए, जुर्माना और ब्याज लगेगा। जुर्माना और ब्याज, 2020 के टैक्स बकायों पर भी लागू होगा, जब तक कि टैक्स खाते का पूरा भुगतान नहीं होता।

### आवेदन कैसा करना है

सिटी ऑफ ब्रैम्पटन की [वेबसाइट \(website\)](#) पर ऑनलाइन आवेदन फार्म प्रयोग करते हुए, 15 अप्रैल, 2021 तक आवेदन करें।

यदि आपको पेपर आवेदन फार्म की जरूरत है, तो कृपया सिटी ऑफ ब्रैम्पटन के टैक्स दफ्तर को संपर्क करें। फार्म भरने के बाद, इसे 905-874 2296 पर फैक्स करके या निम्नलिखित पते पर डाक द्वारा सिटी को भेजा जा सकता है:

City of Brampton  
Finance Department, Revenue Division  
2 Wellington St. W.  
Brampton, ON L6Y 4R2

-30-

### मीडिया संपर्क

मोनिका दुग्गल (Monika Duggal)

कोऑर्डिनेटर, मीडिया एंड कम्युनिटी एन्गेजमेंट

स्ट्रैटजिक कम्युनिकेशन

सिटी ऑफ ब्रैम्पटन

905-874-3426 | [Monika.Duggal@brampton.ca](mailto:Monika.Duggal@brampton.ca)